celebrating the International Year of Millets. At this juncture, I would like to highlight that the Government of Puducherry is introducing millet breakfast for the school children. This is certainly nutritious.

Hon. Deputy Chairman, Sir, every day, about 67,000 children are born in India -- one-sixth of the world's total childbirths. There are as many as 12.22 lakh schools in India imparting elementary education, out of which about 80 per cent are Government and Government-aided schools. The quality of education and access to basic amenities in these schools are far from satisfactory. Therefore, I request, through you, Sir, for setting up of National Council for improvement of primary education at the earliest and to implement the following requirements in all primary schools in India: (1) Reducing the school dropouts. (2) Providing basic infrastructure facilities. (3) Yearly medical check-up for students and maintaining health record till they complete 12th standard. (4) Conducting students-parents counselling through teacher's counsellor. (5) School curriculum should include moral science subject with text books. (6) All schools should have craft teacher to impart skill training. (7) Quality and Innovation (Learning Enhancement Programme, Holistic Progress Card, Innovative Pedagogies, etc.). And (8) ICT, smart classrooms and digital libraries. Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri S. Selvaganabathy: Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Shri Sujeet Kumar (odisha), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra); Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal); and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

Now, Ms. Kavita Patidar, 'Demand to replace the existing practice of issuance of multiple certificates in the country by one certificate.'

Demand to replace the existing practice of issuance of multiple certificates in the country, with one certificate

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'एक राष्ट्र, एक राशन योजना' - एक क्रांतिकारी योजना शुरू की गई थी, जिसका परिणाम सबके सामने है, क्योंकि इस योजना का

लाभ बहुत ही कम समय में 36 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत परिणाम देने वाली योजना है। इसी योजना की तर्ज पर मेरा सरकार एवं सदन से आग्रह है कि एक राष्ट्र, एक प्रमाण-पत्र योजना भी शुरू की जानी चाहिए, जिसमें जन्म प्रमाण-पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

महोदय, यदि किसी बच्चे का जन्म किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, तो उसके जन्म प्रमाण-पत्र के आवेदन फॉर्म में उसकी जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता, नागरिकता और उसकी जाति अंकित की जाती है। इसी के समानान्तर लगभग सभी जानकारी निवास प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र में भी अंकित की जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों प्रमाण-पत्र अलग-अलग विभागों द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे इन प्रमाण-पत्रों को बनवाने वाले भाई-बहनों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय बरबाद होता है, आर्थिक हानि होती है और कार्यालयों के चक्कर लगाने के साथ-साथ अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन को यह बताना चाहती हूं कि जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्रों की पंजीयन संख्या के अलावा लगभग सारी जानकारी एक-सी होती है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि जन्म प्रमाण-पत्र को ही जाति प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के विकल्प के तौर पर वैध कर देना चाहिए, ताकि मेरे देश के भाई-बहनों को विभिन्न विभागों और कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सके और एक ही प्रमाण-पत्र में उनका कार्य सिद्ध हो सके। जो प्रमाण-पत्र त्रुटिवश जारी हो जाते हैं, उन पर भी रोक लगेगी। भविष्य में एक राष्ट्र एक प्रमाण-पत्र को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों से भी, एक-दूसरे से इंटरलिंक किया जा सकता है।

महोदय, मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि मेरे इस सुझाव पर ध्यान दिया जाए, ताकि देश के सभी भाई-बहनों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Ms. Kavita Patidar: Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).